राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि0
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005

क्रमांक:ए.1(1)112/2020
दिनांक: 20 अप्रेल, 2020

कार्यालय आदेश

शासन सचिव, वित्त (बजट), वित्त विभाग, (आय-व्ययक अनुभाग), राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प.3(1)वित्त-1/आ.व्यय./2004 पार्ट-। दिनांक 27.03.2020 एवं पत्र क्रमांक प.3(1)वित्त-1(1)आ. व्यय./2004 पार्ट-। दिनांक 02.04.2020 की अनुपालना में राज्य में कोविड-19 महामारी के परिदृश्य में मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि जमा कराने के दृष्टिगत निगम के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के माह अप्रेल, 2020 के मूल वेतन से निम्नानुसार कटौती किये जाने का निगम प्रबन्धन द्वारा निर्णय लिया गया है :-

क्र.सं.	अधिकारी कर्मचारी के देय पे-मैट्रिक्स लेवल अनुरूप वर्गीकरण	वेतन कटौती के लिए दिवस की संख्या
1.	लेवल-1 से लेवल-4 तक	एक दिवस
2.	लेवल-5 से लेवल-9 तक	दो दिवस
3.	लेवल-10 से लेवल-13 तक	तीन दिवस
4.	लेवल-14 एवं इससे ऊपर	पांच दिवस

उपरोक्त कटौती की गई राशि बजट मद-8448-स्थानीय निधियों की जमा, 120-अन्य निधियां, (07)-राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष, (10)-कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित लोगों की सहायतार्थ में जमा की जायेगी।

समस्त इकाई कार्यालय एवं मुख्यालय द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु वेतन से कटौती की गई राशि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए पृथक से कटौती विवरण पत्र प्रबन्धक (बिल्स) को प्रेषित किया जायेगा। जिससे उक्त मद में जमा की गई राशि को संकलित किया जाकर मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करवाई जा सके।

(राजेन्द्र शर्मा)
सलाहकार (ए.एण्ड एम.)

प्रतिलिपि :

1. समस्त इकाई प्रभारी
2. संबंधित नियंत्रक अधिकारी
3. कार्यालय आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली

प्रतिलिपि को भी:

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय
3. संयुक्त शासन सचिव, राजकीय उपक्रम ब्यूरो, राजस्थान सरकार को सूचनार्थ